

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 110]

नया रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2025 — माघ 25, शक 1946

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर अटल नगर
नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 14 फरवरी 2025

अधिसूचना

क्रमांक GENS-1103/5/2025-COMM. &INDUS .- औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट-1 की कंडिका (5) में निम्नानुसार उल्लेखित है,-

"उद्यम आकांक्षा" से आशय होगा छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पोर्टल के माध्यम से जारी किये जाने वाले "उद्यम आकांक्षा अभिस्वीकृति" प्रमाण पत्र। इस नीति के अंतर्गत यह प्रमाण पत्र अभिस्वीकृति दिनांक से पांच वर्ष के लिए मान्य होगा। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के पूर्व लागू व्यवस्था के अंतर्गत जारी दो वर्ष की वैधता वाले प्रमाण पत्र एवं जिनकी वैधता शेष हो उन्हें इस नीति के अंतर्गत संदर्भित किया जा कर जारी करने की दिनांक से पांच वर्ष हेतु मान्य रखा जा सकेगा। इस हेतु विभाग द्वारा विद्यमान ऑनलाइन प्रणाली में यथा आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध करायी जावेगी।

2. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के उक्त प्रावधान के अनुक्रम में, राज्य शासन, एतद द्वारा, विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 20-4/2016/11/(6) दिनांक 06.02.2016 में संशोधन करते हुए उद्यम आकांक्षा की निम्नानुसार व्यवस्था लागू करता है, -

- (1) औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन एवं औद्योगिक भूमि के आबंटन हेतु उद्यम आकांक्षा प्रस्तावित पंजीयन के रूप में मान्य किया जावेगा। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट-1 के कंडिका क्रमांक 05 अनुसार उद्यम आकांक्षा से आशय छ.ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पोर्टल के माध्यम से जारी किये जाने वाले "उद्यम आकांक्षा अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र" से है।
- (2) उद्यम आकांक्षा अभिस्वीकृति हेतु विभागीय पोर्टल में ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से दाखिल कर प्राप्त किया जावेगा।
- (3) उद्यम आकांक्षा अभिस्वीकृति प्राप्त करने हेतु सूक्ष्म उद्यमों के प्रकरणों में राशि रू. 1000, लघु उद्यमों के प्रकरणों में राशि रू. 5000, मध्यम उद्यमों के प्रकरणों में राशि रू. 10000 तथा वृहद उद्यमों के प्रकरणों में राशि रू. 15000 का शुल्क भुगतान ऑनलाइन बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से करना होगा।
- (4) उद्यम आकांक्षा अभिस्वीकृति जारी होने के उपरांत इकाई द्वारा किसी भी प्रकार के सुविधा/औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के पूर्व संशोधन आवेदक/औद्योगिक इकाई द्वारा स्वयं किया जा सकेगा। सुविधा/औद्योगिक

निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के उपरांत यदि किसी भी प्रकार का संशोधन कराया जाता है तो संशोधन शुल्क राशि रू. 500 का भुगतान करना होगा तथा संशोधन संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किया जावेगा।

- (5) उद्यम आकांक्षा की वैधता अवधि अभिस्वीकृति दिनांक से 05 वर्ष के लिए मान्य होगा। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के पूर्व लागू व्यवस्था के अंतर्गत जारी 02 वर्ष की वैधता वाले प्रमाण पत्र जिनकी वैधता अवधि शेष हो उन्हें इस अधिसूचना के संदर्भ में जारी करने के दिनांक से 05 वर्ष हेतु मान्य किया जावेगा।

यह अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील मानी जावेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रजत कुमार, सचिव.